न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 138/2005
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. रामा पुत्र हरलाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम मेंदवास, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. जयनारायण पुत्र श्रवण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम मेंदवास, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रवण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम मेंदवास, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956)

उपस्थितिः–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री भगवानसहाय शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक : 07.11.2017

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम मेंदवास की आराजी खसरा नम्बर 1237 रकबा 14 बीधा 19 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1239 रकबा 06 बीधा 12 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 21 बीधा 11 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में मकबूजा ठिकाना काबिज काश्त दर्ज थी। आराजी खसरा नम्बर 1237 रकबा 14 बीधा 19 बिस्वा में से 9 बीधा 10 बिस्वा तथा आराजी खसरा नम्बर 1239 रकबा 6 बीधा 12 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 16 बीधा 02 बिस्वा की हक खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत जरिये नामान्तरकरण सं0 101 दिनांक 13.08.1960 रामा पुत्र हरलाल, जाति–जाट, श्रवण पुत्र रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–मेंदवास बहिस्सा बराबर को दी हैं। यह खातेदारी सम्वत् 2011 लगायत 2014 तक बिना कोई कब्जा दी गई हैं, राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अधीन की गई कार्यवाही निरस्त योग्य हैं। श्रवण पुत्र रामनाथ की

मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मृतक श्रवण के वारिस जयनारायण, लक्ष्मीनारायण के नाम नामान्तरकरण सं0 1283 दिनांक 10.06.2004 स्वीकार किया गया हैं। अतः विधि–विरूद्ध दी गई हक खातेदारी के नामान्तरकरण संख्या 101, नामान्तरकरण सं0 1283 को निरस्त करने एवं वर्तमान जमाबन्दी से खातेदारी की प्रविष्टियों को निरस्त कर सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक हाजिर आयें। जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल हैं।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि रेफरेन्स अधीन आराजी की हक खातेदारी अन्तर्गत धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 रामा व श्रवण जाट को विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित दी गई हैं। जिन व्यक्तियों रामा व श्रवण को हक खातेदारी दी गई हैं उनका वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा–काश्त नही रहा और न ही सम्वत् 2011–2014 में भी कब्जा–काश्त रहा हैं। सम्वत् 2012 में भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। वादग्रस्त आराजी की नियमों के विपरित खातेदारी दिये जाने की जांच के संबध में जस्टिस बैरी की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, जिसमें प्रकरण की जांच किये जाने पर आयोग ने हक खातेदारी दिये जाने को नियमो के विरूद्ध पाया हैं। बैरी आयोग की जांच के अनुसरण में वादग्रस्त आराजी के संबध में अति0 कलक्टर (द्वितीय) जयपुर ने अपनी आज्ञा दिनांक 17.02.2001 प्रकरण संख्या 43/1995 बउनवानी सरकार बनाम गोपाल वगैराह में वादग्रस्त आराजी पर सम्वत् 2012 में कब्जा नहीं होने से रामा व श्रवण को जरिये नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 13.08.1960 को दी गई खातेदारी को निरस्त किया है और वादग्रस्त आराजी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया हैं, इस आज्ञा दिनांक 17.02.2001 की अपील होने पर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने मात्र तकनीकी आधार पर निर्णय दिनांक 31.01.2002 द्वारा अपील स्वीकार कर आज्ञा दिनांक 17.02.2001 को निरस्त किया हैं परन्तु रेफरेन्स के लिए प्रकरण को उपयुक्त होने से ही रेफरेन्स की कार्यवाही हेतु अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर को रिमाण्ड किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं जो यह साबित करते हो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 से पूर्व अर्थात् सम्वत्

2012 से पूर्व लगातार रामा व श्रवण का कब्जा–काश्त रहा हो। हक खातेदारी जरिये नामान्तरकरण सं0 101 दिनांक 13.08.1960 को दिये गये हैं, परन्तु इससे पूर्व के कब्जा–काश्त संबधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः हक खातेदारी अवैध रूप से दिये गये हैं। अवैध आज्ञा के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स किया जा सकता हैं। शून्य आधारित आज्ञा के लिए रेफरेन्स किये जाने की कोई समय सीमा नहीं हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे नामान्तरकरण सं0 101 दिनांक 13.08.1960 एवं इसके पश्चात् स्वीकृत विरासत का नामान्तरकरण सं0 1283 दिनांक 10.06.2004 निरस्त किये जाने एवं जमाबन्दी से इन्द्राज हजफ किये जाने की राय से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल को भिजवाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री भगवानसहाय शर्मा का कथन हैं कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित 44 वर्ष की एक दीर्ध अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हैं, जो चलने योग्य नहीं हैं। जस्टिस बैरी आयोग का गठन देश में आपातकाल के दौरान राजस्थान में कृषि भूमियों के दुरूपयोग की जांच के लिए किया गया था। अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता श्रवण को वादग्रस्त आराजी की हक खातेदारी आपातकाल के दौरान प्राप्त नहीं हुई हैं। अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता श्रवण का वादग्रस्त आराजी पर पुराना कब्जा निर्बाध रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की दिनांक 15.10.1955 को पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जरिये नामान्तरकरण सं0 101 दिनांक 13.08.1960 हक खातेदारी दी गई हैं। हक खातेदारी को किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि में जरिये अपील अथवा रेफरेन्स की कार्यवाही के द्वारा चुनौती नहीं दी गई हैं। माननीय जस्टिस बैरी ने भी अपने जांच प्रतिवेदन सं0 पी–104/1979 उनवानी देवीसिंह बनाम गोपाल वगैराह में हक खातेदारी प्राप्तकर्त्ता के अभिभाषक द्वारा किये गये कथन कि पीडित पक्षकार को अपील अथवा रेफरेन्स की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, को सही माना हैं। किसी पीडित व्यक्ति द्वारा हक खातेदारी दिये जाने को जरिये अपील अथवा रेफरेन्स के द्वारा चुनौती नहीं दी गई हैं बल्कि जस्टिस बैरी द्वारा दिये गये निष्कर्ष का गलत अर्थ लगाकर हक खातेदारी दिये जाने को तहसीलदार द्वारा चुनौती दी गई हैं जबकि वादग्रस्त आराजी की हक खातेदारी तहसीलदार द्वारा ही स्वीकार की गई हैं। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 रामा व अप्रार्थी सं0 2 जयनारायण–अप्रार्थी सं0 3 के पिता श्रवण

को बजमाने बुजुर्गान्
1955 के प्रभाव में आने की दिनांक को कब्जा–काश्त पाये जाने पर ही जरिये नामान्तरकरण सं0 101 नायब तहसीलदार, फागी द्वारा खातेदारी स्वीकार की हैं। दिनांक 13.08.1960 को खातेदारी स्वीकार किये जाने के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा इस खातेदारी के नामान्तरकरण को चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया हैं। वादग्रस्त आराजी पर बजमाने बुजुर्गान् अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त रहा है और वरवक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने की दिनांक 15.10.1955 को यदि अप्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज राजस्व कारकूनान द्वारा नहीं किया गया तो एक अरसे दराज अर्थात् 57 वर्ष की दीर्घ अवधि गुजरने के पश्चात् तकनीकी आधार पर हक खातेदारी को निरस्त किये जाने पर विचार किया जाना अवैधानिक होगा। तत्कालीन पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का व नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2, 3 के पिता श्रवण का कब्जा–काश्त पाये जाने पर ही हक खातेदारी स्वीकार की गई हैं और अप्रार्थीगण का निर्बाध रूप से आज दिनांक कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। हक खातेदारी स्वीकार किये जाने से पूर्व के वर्ष सम्वत् 2015, सम्वत् 2016 एवं सम्वत् 2017 में स्पष्ट रूप से अप्रार्थी सं0 1 रामा व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता श्रवण का नाम खसरा गिरदावरी में दर्ज हैं। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015, सम्वत् 2016 एवं सम्वत् 2017 भू–अभिलेख अधिकारी–तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया एवं संधारित किया गया दस्तावेज हैं, जिस पर संशय किये जाने का कोई आधार नहीं हैं। हक खातेदारी जरिये नामान्तरकरण दिनांक 13.08.1960 स्वीकार की गई हैं जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 पर दर्ज हैं। इसके तत्काल बाद के खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018, सम्वत 2019, सम्वत 2020, सम्वत 2021, सम्वत 2022 में वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण की काश्त दर्ज हैं और इसके पश्चात् के लगातार खसरा गिरदावरी में अप्रार्थीगण की काश्त दर्ज हैं जिनकी नकल अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। हक खातेदारी दिये जाने की दिनांक से राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2, 3 के पिता श्रवण का नाम जमाबन्दी में दर्ज हैं। श्रवण की फौती का नामान्तरकरण सं0 1283 अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया हैं जिस पर निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री भगवानसहाय शर्मा का यह भी कथन हैं कि वादग्रस्त आराजी वर्ष 1960 अथवा इससे पूर्व बंजड व उबड–खाबड टिलो के रूप में थी जिसमें लाखों रूपये

लगाकर व मेहनत कर काफी लम्बे समय में इसे कृषि योग्य व पेड लगाकर तथा बाउण्ड्रीवाल पुख्ता बनाकर अप्रार्थीगण द्वारा विकसित किया गया हैं जिसमें अप्रार्थीगण के लाखों रूपये तो खर्च हुए ही है, अप्रार्थीगण का शारीरिक श्रम भी काफी लगा हैं। एक अरसे दराज के बाद में जबकि आधी सदी से ज्यादा समय की अवधि गुजर चुकी हैं और वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण की पूरी आजिविका निर्भर हैं। तथा अप्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति हैं और इस भूमि के अलावा अन्य कोई परिवार के भरण–पोषण का जरिया नहीं हैं। रेफरेन्स की कार्यवाही कर नामान्तरकरण को निरस्त करने की कार्यवाही की जाती हैं तो अप्रार्थीगण के साथ अन्याय होगा। अतः वादग्रस्त आराजी पर बतौर सद्भाविक काश्तकार कब्जा–काश्त निर्बाध रूप से होने, किसी व्यक्ति द्वारा वैधानिक निर्धारित अवधि में अपील/रेफरेन्स नहीं किये जाने एवं वरवक्त हक खातेदारी स्वीकार किये जाने अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2, 3 के पिता श्रवण भूमिहीन कांश्तकार होने से तथा हक खातेदारी को 57 वर्ष हो जाने के कारण रेफरेन्स प्रार्थना ड्राप फरमाया जावे। अप्रार्थीगण की खातेदारी यथावत रखी जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने उभय–पक्षो की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध जस्टिस बैरी द्वारा प्रकरण सं0 पी–104/1979 उनवानी देवीसिंह बनाम गोपाल वगैराह के निर्णय की प्रति से यह जाहिर होता हैं कि वादग्रस्त आराजी के हक खातेदारी दिये जाने की शिकायत किसी निजी व्यक्ति द्वारा किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा जांच की हैं जिसमें दिनांक 13.08.1960 को दिये गये हक खातेदारी को अवैधानिक होना पाया हैं और वैधानिक रीति से वादग्रस्त आराजी को वापिस प्राप्त करने की सिफारिश की हैं। इस निर्णय में यह तथ्य महत्वपूर्ण हैं कि अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दी गई इस दलील को कि पीडित पक्षकार द्वारा राजस्व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील अथवा धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाना चाहिए था को वैध रूप से स्वीकार किया गया हैं। विचारण प्रकरण में इस हक खातेदारी को किसी निजी पीडित व्यक्ति द्वारा अन्तर्गत धारा 75 अथवा अन्तर्गत धारा 82 चुनौती दिया जाना जाहिर नहीं होता हैं। अति0 कलक्टर (द्वितीय) जयपुर द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 17.02.2001 को निर्णय दिनांक 31.01.2002 के जरिये अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने निरस्त कर प्रकरण को नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही हेतु अति0 कलक्टर (द्वितीय) जयपुर को रिमाण्ड किया हैं, जिसकी पालना में तहसीलदार, फागी

द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक का यह कथन रहा हैं कि सम्वत् 2011 लगायत 2014 तक अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं होने के बावजूद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत हक खातेदारी अविधिक रूप से स्वीकार की गई हैं जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक का वरवक्त बहस यह कथन रहा हैं कि खातेदारी दिये जाने की दिनांक 13.08.1960 से पूर्व के वर्षो से अप्रार्थीगण का कब्जा रहा हैं जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015, सम्वत् 2016, सम्वत् 2017 के कॉलम सं0–17 में पड़त कब्जा रामा पुत्र हरलाल व श्रवण पुत्र रामनाथ जाट हिस्सा बराबर दर्ज इन्द्राज से होती हैं। हक खातेदारी दिये जाने के पश्चात् बतौर खातेदार अप्रार्थी रामा पुत्र हरलाल व श्रवण पुत्र रामनाथ जाट का नाम दर्ज चला आ रहा हैं और खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज हैं। हक खातेदारी दिये जाने की दिनांक 13.08.1960 से पूर्व सम्वत् 2015, सम्वत् 2016, सम्वत् 2017 के कॉलम सं0–17 में पड़त कब्जा अप्रार्थी रामा व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता श्रवण के कब्जे के कथन को खण्डन करने में विद्वान् राजकीय अभिभाषक असफल रहे है। नामान्तरकरण संख्या 101 के कॉलम सं0–13 में पटवारी हल्का ने रामा व श्रवण दोनों को ही भूमिहीन होना व इनके नाम अन्य कोई जमीन नहीं होने का इन्द्राज किया हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह जाहिर होता हैं कि हक खातेदारी दिये जाने के पूर्व से रामा व श्रवण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रहा हैं और वर्तमान में रामा व श्रवण के वारिसान का कब्जा चला आ रहा हैं ऐसी स्थिति में 57 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात् रेफरेन्स जैसी कार्यवाही द्वारा खातेदारी को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं पाते हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर